

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक-7/11/अन्वे/पांच/2015/ 45369-618

इन्दौर, दिनांक 11 नवम्बर, 2022

प्रति,

.....

.....

विषय- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा महंगाई भत्ते का निर्धारण।

विषयान्तर्गत इन्दौर एवं भोपाल केन्द्रों हेतु उपर्युक्त अवधि हेतु निर्धारित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नानुसार प्रगणित किये गए हैं :-

आधार वर्ष 2016=100		
माह	इन्दौर केन्द्र	भोपाल केन्द्र
जुलाई, 2022	8163.38	10235.63
अगस्त, 2022	8196.45	10334.05
सितम्बर, 2022	8341.99	10407.87
योग	24701.82	30977.55
औसत सूचकांक	8233.94	10325.85
गत तिमाही का औसत सूचकांक	8196.45	10170.02
अन्तर	+37.49	+155.83

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार नीचे दर्शाए गए केन्द्रों के लिए नीचे दर्शाए गए अवधि (तिमाही) हेतु निर्धारित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निम्नानुसार प्रगणन किया गया है :-

अवधि- अक्टूबर से दिसम्बर, 2022

क्रमांक	केन्द्र का नाम	सूचकांक में परिवर्तन	दर सूचकांक	प्रतिमाह देय वृद्धि
1	इन्दौर, उज्जैन, नागदा, रतलाम, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, ग्वालियर, मालनपुर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया आदि।	+37.49	1.08	40.49 (चालीस रूपये उत्पचास पैसे)
2	भोपाल	+155.83	1.19	185.44 (एक सो पिच्चासी रूपये चवालिस पैसे)

अतएव माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन के पंच निर्णय दिनांक 01/09/1973, माननीय श्रम मंत्रीजी के पंच निर्णय दिनांक 04/12/1973 श्रमायुक्त के पंच निर्णय दिनांक 06/10/1973 एवं उप श्रमायुक्त के पंच निर्णय दिनांक 03/11/1980 जो भी प्रभावशील हो, के अनुसार महंगाई भत्ते का वितरण किया जावे।

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर